

फर्दे अहकाम

(नियम 26)

नंबर अहकाम में जज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय
 हुजारी बनाम राजस्थान सरकार
 मु० नं० 432/16

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पेंकोकर सरकार व हसीबदार सिकराय उपस्थित। उक्त याचक शर्फीगण (वादीगण) अन्तर्गत धारा 156 राज. बू राजस्व अधिनियम (वारिज किया जाता है तदनुसार किडिक) जारी है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमाए होकर नम्बर से कम होकर याचकल दफ्तर है।</p>	
	<p>31/11/16 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौलत</p>	